रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 29—मई 5, 2006 (वैशाख 9, 1928)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 29—MAY 5, 2006 (VAISAKHA 9, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	369
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	369
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गईं सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	557
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं	1219
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गईं पेटेन्टों और डिज़ाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	189
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1275
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	379
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	369
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	369
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	557
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1219
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs. .	189
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners.	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1275
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	379
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2006

शुद्धि-पत्र

सं. 7/1/2004-आई.एस.सी.--इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 7/1/2004-आई.एस.सी. दिनांक 21 जून, 2004 का आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय मंत्री परिषद के मंत्रियों को अन्तर्राज्य परिषद में मनोनीत करने के संबंध में, श्री प्रियरंजन दासमुंशी, अन्तर्राज्य परिषद में स्थायी आमंत्री के प्रभाग को जल संसाधन मंत्री के स्थान पर संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में पढ़ा जाए।

एस. लक्ष्मीनारायणन्
सचिव
अन्तर्राज्य परिषद

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2006

संकल्प

सं. एफ. 4-1/2005-यू-3--जबकि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की पिछली परिषद 19 फरवरी, 2002 को गठित की गई थी और चूंकि परिषद् की अवधि 18 फरवरी, 2005 को समाप्त हो गई है, अत: भारत सरकार ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के संगम ज्ञापन तथा नियमावली के नियम 3 के अधीन भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव किया है। इसमें तत्काल प्रभाव से तीन वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

क. अध्यक्ष

1. प्रोफेसर किरीट जोशी : उन्हें तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 06.06.2003 से दूसरी बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनके वर्तमान कार्यकाल की अवधि दिनांक 05.06.2006 को समाप्त हो रही है।

ख. विभिन्न संगठनों के आठ प्रतिनिधि

1. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि
   सचिव,
   माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग,
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
2. वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधि :
   वित्तीय सलाहकार,
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक प्रतिनिधि
4. भारतीय दार्शनिक कांग्रेस के दो प्रतिनिधि
5. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक प्रतिनिधि
6. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के एक प्रतिनिधि
7. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के एक प्रतिनिधि

ग. भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 व्यक्ति

1. प्रोफे. आर.पी. श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त),
   दर्शन विभाग, बिहार विश्वविद्यालय,
   मुजफ्फरपुर, बिहार।
2. प्रोफे. वाई. वी. सत्यनारायण,
   दर्शन विभाग,
   आन्ध्र विश्वविद्यालय,
   वाल्टेयर, आन्ध्र प्रदेश।
3. प्रोफे. सुजाता मिरी,
   दर्शन विभाग,
   गुवाहाटी विश्वविद्यालय,
   गुवाहाटी, असम।
4. प्रोफे. जे. पी. शुक्ला,
   पूर्व कुलपति,
   रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
   जबलपुर, मध्य प्रदेश।
5. डा. राम लाल सिंह,
   पूर्व प्रोफेसर, दर्शन विभाग,
   इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
   16, जवाहर लाल नेहरू रोड,
   टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
6. प्रोफेसर निर्मलांशु मुखर्जी,
   दर्शन विभाग,
   दिल्ली विश्वविद्यालय,
   दिल्ली।

7. प्रोफे. के. एस. राधाकृष्णन,
कुलपति, श्रीशंकर विश्वविद्यालय,
कलाड़ी, केरल।

8. प्रोफे. रूप रेखा वर्मा,
पूर्व प्रोफेसर,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

9. प्रोफे. जावेद आलम,
राजनीतिक दर्शन विभाग,
केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान,
हैदराबाद।

10. प्रोफे. ध्रव रैना,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली।

11. प्रोफे. नीलाश्या सिंह,
पंजाब विश्वविद्यालय,
पटियाला।

12. प्रोफे. जलाल-उल-हक,
अध्यक्ष, दर्शन विभाग,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़।

घ. परिषद द्वारा सहयोजित चार लब्धप्रतिष्ठ दार्शनिक;

ङ उत्तर प्रदेश सरकार के दो प्रतिनिधि; तथा

च. परिषद के सदस्य सचिव :

प्रोफेसर एस.आर. व्यास : इन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 9 मार्च, 2004 से सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डी. के. पालीवाल
उप शिक्षा सलाहकार

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2006

संकल्प

. एफ. 20-4/2003-ए एण्ड ए--एशियाटिक सोसायटी अधिनियम, (1984 का 5), की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ...द्र सरकार 5-11 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक ..1.2005 के ज्ञापन के जरिए गठित एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के ..योजना बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा सदस्य के रूप में नियुक्त करती है :

1. प्रो. सुभद्र कुमार सेन,
आजीवन सदस्य,
एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता

2. श्री विश्वनाथ बनर्जी
अध्यक्ष,
एशियाटिक सोसायटी परिषद,
कोलकाता

उपर्युक्त नियुक्ति इस संकल्प के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

आयोजना बोर्ड के कार्यकलापों को शासित करने वाले नियम वही होंगे जो दिनांक 25 जून, 1984 (फा. सं. 8-16/84-सी एच-डेस्क) के सामान्य कानूनी नियम 472 (ई) के जरिए अधिसूचित किए गए हैं।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

के. जयकुमार
संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2006

संकल्प

सं. 18/6/2002-जीडब्ल्यू(पार्ट)--भारत सरकार निम्नलिखित संघटन, उद्देश्य, विचारार्थ विषयों और अन्य संबंधित प्रावधानों सहित भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद का गठन करती है।

1. संघटन

(क) स्थाई सदस्य (II)

(i) जल संसाधन मंत्री : अध्यक्ष

(ii) सचिव/अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय : सदस्य

(iii) सलाहकार, योजना आयोग : सदस्य

(iv) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग : सदस्य

(v) अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड : सदस्य

(vi) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड : सदस्य

(vii) से (x) : निम्नलिखित प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि :
ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग),
शहरी विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(xi) आयुक्त (जीडब्ल्यू), जल संसाधन मंत्रालय : सदस्य-सचिव

(ख) रोटेशन आधार पर सदस्य (दो वर्षों के लिए) (7)
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जल संसाधन के प्रभारी सचिव-पूर्वी राज्यों, पश्चिमी राज्यों, उत्तरी राज्यों, मध्य राज्यों, दक्षिणी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों/द्वीप समूहों/संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक-एक सदस्य।

(ग) विषय विशेषज्ञ/किसानों के प्रतिनिधि (6)

(घ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड (आरईसी) आदि जैसे वित्तीय संस्थानों से प्रतिनिधि (2)

(ङ) फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज (फिक्की), कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्रीज (सीआईआई), एसोसिएटेड चैम्बर्स (एसोचैम), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी), कोल इंडिया लिमिटेड आदि (5)

(च) गैर-सरकारी संगठनों से प्रतिनिधि (5)

उपरोक्त (ख) के लिए सदस्यों के संबंध में, रोटेशन के संबंध में सलाहकार परिषद द्वारा निर्णय लिया जाएगा। उपरोक्त (ग), (घ), (ङ), और (च) के लिए सदस्यों के नामांकन के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। केन्द्रीय भूमिगत बोर्ड के सदस्य स्थाई तौर पर विशेष आमंत्रिती के रूप में परिषद की बैठकों में भाग लेंगे।

उद्देश्य

भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद का गठन करने का मुख्य उद्देश्य सभी दावाधारकों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की अवधारणा और इसे अपनाये जाने का प्रचार-प्रसार करना है।

3. विचारार्थ विषय

- प्राथमिकता वाले क्षेत्र
- क्षेत्र विशेष प्रोद्यौगिकी
- विभिन्न केन्द्रीय और राज्य स्तरीय संगठनों के बीच समन्वय
- गैर-सरकारी संगठनों, उद्योगों/दावाधारकों के बीच समन्वय
- केन्द्र और राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की आवधिक समीक्षा
- उपसमितियों का गठन करने की शक्ति कार्य-क्षेत्र आधारित
- निजी भागीदारी सहित वित्तपोषण कार्य नीतियां
- दावाधारकों की भूमिका
- जागरूकता का सृजन/शिक्षा/क्षमता निर्माण
- अनुसंधान एवं विकास-विशेषकर कम लागत की प्रौद्योगिकी का विकास

4. बैठकें

परिषद द्वारा आवश्यतानुसार बैठक आयोजित की जाएगी; तथापि वर्ष में कम से कम दो बार बैठक आयोजित की जाएगी।

5. व्यय

परिषद के सरकारी सदस्यों के टीए/डीए से संबंधित व्यय की पूर्ति उस स्त्रोत से की जाएगी जिससे वे अपना वेतन आहरित करते हैं और गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में इसका वहन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रमेश कुमार
निदेशक (भूजल)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 10th April 2006

No. 7/1/2004-ISC.—In partial modification of Notification No. 7/1/2004-ISC dated the 21st June, 2004 nominating members of the Union Council of Ministers of the Inter-State Council, the portfolio of Shri Priyaranjan Dasmunsi, a permanent invitee to the Inter-State Council, may be read as Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Information and Broadcasting instead of Minister of Water Resources.

S. LAKSHMINARAYANAN
Secretary
Inter-State Council

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 21st March 2006

RESOLUTION

No. F. 4-1/2005-U.3.—Whereas the Indian Council of Philosophical Research was last re-constituted on the 19th February, 2002 and the term of the Council has since expired on 18th February, 2005, the Government of India have now resolved to re-constitute the Indian Council of Philosophical Research under Rule 3 of the MOA & Rules of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi with the following members for a period of three years with immediate effect :—

(a) Chairman

1. Prof. Kireet Joshi - He was appointed as the Chairman for the second term for a period of three years w.e.f. 06.06.2003. The present tenure will expire on 05.06.2006.

(b) Eight representatives of different organisations

(1) A representative of Department of Secondary & Higher Education;

Secretary,
Department of Secondary & Higher Education,
Ministry of Human Resource Development

(2) A representative of Ministry of Finance;

Financial Adviser,
Ministry of Human Resource Development
Department of Secondary & Higher Education

(3) A representative of the University Grants Commission;

(4) Two representatives of the Indian Philosophical Congress;

(5) A representative of the Indian Council of Social Science Research;

(6) A representative of the Indian Council of Historical Research;

(7) A representative of the National Science Academy;

(c) Twelve members nominated by the Government of India;

1. Professor R.P. Shrivastava (Retd.),
Department of Philosophy, Bihar University,
Muzzafarpur, Bihar.

2. Professor Y.V. Satyanarayana,
Department of Philosophy,
Andhra University,
Waltair, Andhra Pradesh.

3. Professor Sujata Miri,
Department of Philosophy,
Gauhati University,
Guwahati, Assam.

4. Professor J.P. Shukla,
Ex-Vice Chancellor,
Rani Durgavati Vishwavidyalaya,
Jabalpur, Madhya Pradesh.

5. Dr. Ram Lal Singh,
Former Professor,
Department of Philosophy,
Allahabad University,
16, Jawahar Lal Nehru Road,
Tagore Town, Allahabad.

6. Professor Nirmalangshu Mukherjee,
Department of Philosophy, University of Delhi,
Delhi.

7. Professor K.S. Radhakrishnan,
Vice-Chancellor, Shree Shankara University,
Kalady, Kerala.

8. Professor Roop Rekha Verma,
Former Professor,
Lucknow University,
Lucknow.

9. Professor Javed Alam,
Department of Political Philosophy,
Central Institute of English and Foreign
Languages (CIEFL),
Hyderabad.

10. Professor Dhruv Raina,
Jawaharlal Nehru University (JNU),
New Delhi.

11. Professor Nilashaya Singh,
Punjab University, Patiala.

12. Professor Jalalul Haq,
Chairman, Department of Philosophy,
Aligarh Muslim University,
Aligarh.

(d) Four eminent Philosophers to be co-opted by the Council;

(e) Two representatives of the Government of Uttar Pradesh; and

(f) Member-Secretary of the Council :

Prof. S.R. Vyas - He was appointed as Member Secretary for a period of three years w.e.f. 9th March, 2004.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D.K. PALIWAL
Dy. Educational Adviser

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 31st January 2006

RESOLUTION

No. F. 20-4/2003-A&A.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of The Asiatic Society Act, 1984 (5 of 1984), the Central Government hereby appoints the following as Members on the Planning Board of the Asiatic Society, Kolkata constituted vide Resolution dated 18.1.2005 published in the Gazette of India dated February 5.11.2005 :—

1. Prof. Subhadra Kr. Sen,
Life Member,
Asiatic Society, Kolkata

2. Shri Biswanath Banerjee,
President,
Asiatic Society Council,
Kolkata.

2. The above appointment will be effected from the date of publication of this Resolution in the Gazette of India.

3. The rules governing the activities of the Planning Board will be the same as notified vide GSR 472 (E) dated the 25th June, 1984 (No. F. 8-16/84-CH-Desk).

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India.

K. JAYAKUMAR
Jt. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 17th April 2006

RESOLUTION

No. 18/6/2002-GW (Pt.).—Government of India is pleased to constitute Artificial Recharge of Ground Water Advisory Council with the following composition, objective, terms of reference and other related provisions :

1. Composition

(A) Permanent Members (11)

(i) Minister of Water Resources – Chairman

(ii) Secretary/Additional Secretary, MoWR – Member

(iii) Advisor, Planning Commission – Member

(iv) Chairman, Central Water Commission – Member

(v) Chairman, Central Ground Water Board – Member

(vi) Chairman, Central Pollution Control Board – Member

(vii) to (x) : One representative each from :

Ministry of Rural Development (Department of Land Resources),
Ministry of Urban Development,
Ministry of Agriculture,
Ministry of Environment and Forests.

(xi) Commissioner (GW), MoWR – Member Secretary

(B) Members on rotational basis (for two years) (7)

Secretary Incharge of Water Resources of the States/UTs – one each from eastern-States, Western-States, northern-States, central-States, southern-States, north-eastern States and hilly States/Islands/UTs.

(C) Subject Experts/Farmers Representative (6)

(D) Representative from financial institutions like National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Rural Electrification Corporation Ltd. (REC) etc. (2)

(E) Industries/Public Undertakings like Federation of India Chambers of Commerce and Industries (FICCI), Confederation of Indian Industries (CII), Associated Chambers (ASSOCHAM), Oil and Natural Gas Commission (ONGC), Coal India Limited, etc. (5)

(F) Representatives from NGOs (5)

In respect of Members for (B) above, the rotation will be decided by the Advisory Council. The nomination of Members for (C), (D), (E) and (F) above will be decided by the Ministry of Water Resources. Members of Central Ground Water Board will invariably join the meetings of the Council as Special Invitees.

2. Objective

The main objective of setting up Artificial Recharge of Ground Water Advisory Council is to popularize the concept of Artificial Recharge among all stake holders and its adoption.

3. Terms of Reference

- Prioritizing areas
- Area specific technology
- Co-ordination among various Central and State organizations
- Co-ordination among NGO's, Industries/stake holders
- Periodic review of action taken by Centre & States
- Power to set up sub-committees-function/area based
- Funding strategies including private participation
- Role of Stake holders
- Creating awareness/education/capacity building
- R&D – especially of development of low cost technology

4. Meetings

The Council will meet as and when necessary, however, there shall be at least two meetings in a year.

5. Expenditure

Expenditure on account of TA/DA to official Members of the Council will be met from the source from which they draw their salaries and that of non-official Members, will be borne by the Ministry of Water Resources.

ORDER

Ordered that the above resolution may be published in the Gazette of India.

RAMESH KUMAR
Dir. (GW)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006